..Bulk drugs reserved for Public sector

1317. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that five bulk drugs have been kept reserved for the public sector, if so, the names thereof and also the reasons therefor;

(b) whether it is also a fact that drug produced using recombinant DNA technology, alongwith specific cell or issue targettted, formulations also remain under compulsory licensing; if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether it is also a fact that substantial price decontrol will now enable drug companies to make more money, if so, whether it is not going to serve the common man's interest, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Yes, Sir. The bulk drugs are Vitamin B1, Vitamin B 2, Folic Acid, Tetracycline and Oxytetracycline. These drugs have been kept reserved for public sector because their capacity is adequate to meet the country's demand and heavy public investment has been made.

(b) In view of the considerations of environmental as well as personal safety from the use of transformed hosts as well as r-DNA products, the production of r-DNA products tissue targetted formulations, have been kept under compulsory licensing as this process would enable thorough scrutiny of the products before grant of licence for their production.

(c) It is expected that the prices of drugs that might go outside the price control would not show any abrupt increase. However, the Government would keep a close watch on supply and price situation and would take remedial steps, as and when necessary, including reclamping the price control.

उर्वरकों की खपत उत्पादन आयात

1318. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :**

श्री आस मोहम्मद :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और 1993–94 में अब तक देश में उर्वरकों का राज्यवार, कुल कितना उत्पादन हुआ और उसकी कुल कितनी खपत हुई ;

(ख) 1993–94 में अब तक उर्वरकों का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों के आयात पर कुल कितनी विदेशी-मुद्रा व्यय की गई ; और

(घ) उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान देश में उर्वरकों (पोषकों के रूप में) के राज्यवार उत्पादन और खपत के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) 1993–94 के दौरान 15.88 लाख टन नाइट्रोजन, 7.22 लाख टन फास्फेट तथा 8.57 लाख टन पोटाश युक्त उर्वरकों का आयात किया गया। इसमें से 12.80 लाख टन नाइट्रोजन और 4.31 लाख टन पोटाश का सरकारी खाते में/द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आयात किया गया जिसमें 1097.20 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ। निजी व्यापार खाते पर आयातों के संबंध में मूल्यवत सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) अधिकतम मांग अवधि के दौरान यूरिया संयंत्रों का बन्द होने से रोककर अधिकतम स्वदेशी उत्पादन करना और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के रूग्ण एककों में उत्पादन बनाए रखने/पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त गैर योजना सहायता प्रदान करना।

(ii) नये अमोनिया यूरिया संयंत्रों की स्थापना के जरिये स्वदेशी उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी, चालू संयंत्रों का विस्तार तथा कुछ पुराने संयंत्रों का पुनरुद्धार/रेट्रोफिट।

(iii) प्राकृतिक गैस के प्रचूर भण्डार से सम्पन्न अन्य देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करना।

विवरण

(वर्ष 1992–93)

(000 मी. टन)

राज्य	1992–93						
	उत्पादन			खपत			
	एन	पी	एन+पी	एन	पी	के	एन+पी+के
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	369.40	276.00	645.40	1021.66	418.70	81.75	1522.11
कर्नाटक	112.20	41.90	154.10	4419.66	239.61	120.95	780.22
केरल	237.90	143.60	381.50	83.93	47.95	71.79	202.97
तमिलनाडु	599.20	368.60	967.80	455.34	161.54	182.82	799.49
अंडमान और निकोबार . . .	0.00	0.00	0.00	0.30	0.12	0.27	0.61
पाण्डीचेरी	0.00	0.00	0.00	9.27	3.21	3.08	16.48
गुजरात	1794.10	615.80	2409.90	496.17	181.14	39.29	716.61
मध्य प्रदेश	397.20	54.70	451.90	502.01	255.92	35.10	793.02
महाराष्ट्र	946.60	184.70	1131.30	731.00	280.00	121.00	1132.00
राजस्थान	164.90	33.10	198.00	349.40	136.05	5.87	498.52
दादरा व नगर हवेली . . .	0.00	0.00	0.00	0.65	0.42	0.08	1.18
गोआ	235.80	94.40	330.20	3.21	1.89	1.84	6.94

1	2	3	4	5	6	7	8
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.15	0.04	0.01	0.20
हरियाणा	200.00	11.80	211.80	464.71	141.82	2.51	608.64
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	24.47	3.05	2.38	30.61
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	33.52	10.14	0.75	44.41
पंजाब	468.20	31.70	491.90	934.52	254.26	10.57	1199.35
उत्तर प्रदेश	1323.20	54.10	1377.30	1785.48	345.74	48.52	2179.72
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.48	0.06	0.01	0.54
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	11.82	1.33	0.04	12.39
आसाम	136.00	0.70	137.50	16.00	5.28	5.13	26.51
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	6.88	1.90	0.58	9.16
मेघालय	0.00	0.00	0.00	1.57	1.24	0.18	2.99
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	2.27	0.38	0.09	0.74
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.61	0.38	0.11	1.10
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	5.13	2.52	1.28	8.93
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.30	0.14	0.05	0.50
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.41	0.55	0.24	1.20
टी बोर्ड (एनई)	0.00	0.00	0.00	27.01	4.88	11.56	43.45
बिहार	191.60	28.50	220.10	474.59	100.20	30.96	595.75
उड़ीसा	192.50	240.50	443.00	142.59	29.08	21.28	202.95
प. बंगाल	68.70	126.10	194.90	424.66	212.64	93.96	731.28
अखिल भारत	7430.30	2306.20	9736.50	8426.83	2843.77	833.92	12154.53

विवरण

(वर्ष 1993-94)

(000 मी० टन)

राज्य	1993-94						
	उत्पादन			खपत			
	एन	पी	एन+पी	एन	पी	के	एन+पी+के
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	489.90	197.40	687.30	1085.74	369.51	88.09	1543.00
कर्नाटक	100.00	31.10	131.10	472.81	215.82	116.40	805.00
केरल	262.20	112.80	375.00	77.60	33.12	66.11	176.00
तमिलनाडू	487.50	223.00	710.50	413.88	161.34	205.69	780.00
अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.22	0.10	0.03	0.00
पाण्डीचेरी	0.00	0.00	0.00	11.52	3.82	3.93	19.00
गुजरात	1702.70	641.10	2343.80	472.89	157.02	39.18	669.00
मध्य प्रदेश	413.20	45.50	458.70	521.20	235.95	16.83	773.00
महाराष्ट्र	902.30	155.10	1057.40	804.31	259.02	130.85	1194.00
राजस्थान	243.90	14.70	258.60	365.98	133.75	2.63	502.00
दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.68	0.38	0.03	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8
गोआ	215.30	50.10	265.40	3.12	1.86	1.09	6.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.15	0.04	0.01	0.00
हरियाणा	237.50	3.80	241.30	522.88	148.44	0.36	671.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	24.65	2.34	1.62	28.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	35.17	6.56	0.60	42.00
पंजाब	478.90	20.06	499.50	946.52	245.48	7.47	1199.00
उत्तर प्रदेश	1257.50	54.30	1311.80	1893.52	359.65	38.75	2291.00
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.51	0.02	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	13.28	2.44	0.02	155.00
आसाम	87.30	0.20	87.50	20.72	4.28	7.70	33.00
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	8.20	0.86	0.05	9.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.02	1.13	0.27	3.00
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.50	0.46	0.14	1.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.61	0.28	0.09	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	5.25	1.72	0.89	7.00
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.28	0.21	0.08	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.36	0.43	0.15	0.00
टी बोर्ड (एनई)	0.00	0.00	0.00	32.66	6.55	8.84	48.00
बिहार	129.40	20.60	150.00	471.64	98.67	15.01	585.00
उड़ीसा	188.60	177.10	365.70	154.59	34.17	18.95	207.00
प. बंगाल	35.00	68.40	103.40	435.31	183.21	136.57	745.00
अखिल भारत	7231.20	1815.00	9047.00	8788.57	2669.34	908.42	1236.00